

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 01.03.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



थाना अजनर की पुलिस टीम ने

वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में कानून व्यवस्था बनाये रखने व प्रचलित त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक प्रवृत्ति के वांछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 01.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना अजनर थानाध्यक्ष श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सुरेश कुमार सचान व का0 धीरज कन्नौजिया के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा देखभाल क्षेत्र/गश्त व शान्ति व्यवस्था भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना अजनर में पंजीकृत मु0अ0सं0 39/2025 धारा 85/80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 DP Act में वांछित एक नफर अभियुक्त शिवम राजपूत पुत्र उदयभान उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम महुआबांध थाना अजनर जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के महुआबाँध चौराहा वहद ग्राम महुआबाँध से नियमानुसार गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त एवं आपराधिक विवरण-

शिवम राजपूत पुत्र उदयभान उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम महुआबांध थाना अजनर जनपद महोबा

- मु0अ0सं0 211/2023 धारा 363/366/376 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना पनवाड़ी
- मु0अ0सं0 39/2025 धारा 85/80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 DP Act थाना अजनर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 सुरेश कुमार सचान थाना अजनर जनपद महोबा।
- का. धीरज कन्नौजिया थाना अजनर जनपद महोबा।



जनपद महोबा के साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा साइबर ठगी के ₹ 2,00,000/- (₹ दो लाख/-) साइबर ठगी के शिकार पीडित के खाते में वापस कराये गये हैं, धनराशि अपने बैंक खाते में वापस पाकर पीडित ने महोबा पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया है...।

आये दिन साइबर अपराधियों द्वारा आम जनता को भ्रमित कर उनसे उनके बैंक खाते एवं क्रेडिट कार्ड आदि से जुड़ी गोपनीय जानकारी अर्जित कर यूपीआई व अन्य के माध्यम से साइबर फ्रॉड कर धोखाधड़ी की घटनाएं प्रकाश में आती हैं, ऐसी घटनाओं की रोकथाम तथा आमजनमानस को नियमित साइबर अपराध के प्रति जागरूक कर उनको सचेत किये जाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में साइबर थाने का गठन किया गया है।

जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक, श्री पलाश बंसल के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक कुमार दुबे के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी साइबर क्राइम पुलिस थाना निरीक्षक मो० फहीम अख्तर के नेतृत्व में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय साइबर क्राइम पुलिस टीम महोबा द्वारा निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में आवेदक शुभम सिंह पुत्र राजेश निवासी मु० समदनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा ने अपने साथ हुयी धोखाधड़ी के संदर्भ में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके क्रम में साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा प्रार्थना पत्र की जाँच की गयी, जाँच के दौरान पाया गया कि साइबर अपराधी द्वारा आवेदक के साथ ₹ 2,00,000/- (दो लाख ₹) साइबर ठगी कर ली गयी थी। आवेदक के साथ हुयी साइबर ठगी में खाते से निकाली गयी धनराशि को वापस कराने हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुये पेमेण्ट गेटवे/सम्बन्धित बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर पीडित की सम्पूर्ण धनराशि 2,00,000/- रुपये वापस करायी गयी है। थाना साइबर क्राइम जनपद महोबा पुलिस टीम के द्वारा की गयी इस त्वरित कार्यवाही से पीडित अपने रुपये वापस पाकर अत्यन्त प्रसन्न है, पीडित ने पुलिस अधीक्षक महोबा व साइबर क्राइम थाना जनपद महोबा की पुलिस टीम के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर आभार व्यक्त किया है।

धनराशि वापस कराने वाली थाना साइबर क्राइम महोबा पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक मो० फहीम अख्तर, साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद महोबा
2. उ०नि० भूपेन्द्र सिंह, 3. का० शैलेन्द्र प्रताप सिंह
4. का० सुरजीत कुमार 5. का० अमनदीप सिंह 6. का० संदीप यादव



नोट- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ०टी०पी०, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रान्जेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

प्रकरण से सम्बन्धित महिला जिस व्यक्ति पर आरोप लगा रही है, घटना के समय वह जनपद में मौजूद नहीं था, महिला द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है, शीघ्र ही नियमानुसार गुणदोष के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।